चीन के साथ व्यापार के लिए परिषद्

2377. श्री दिग्विजय सिंह :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए एक परिषद् का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य तथा संरचना क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि परिषद् के व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में चीन का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या था और वहां की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है ;

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार द्वारा ऐसी किसी परिषद् का गठन नहीं किया गया है। किन्तु, निजी क्षेत्र के स्तर पर भारतीय तथा चीनी पक्षों के बीच एक संयुक्त व्यापार परिषद् का गठन किया गया है।

(ख) भारतीय पक्ष की ओर से, संयुक्त व्यापार, परिषद् का प्रतिनिधित्व फिक्की तथा एसोचेम द्वारा किया जाता है, तथा चीनी पक्ष का प्रतिनिधित्व चाइना काउन्सिल फॉर दि प्रमोशन आफ इन्टरनेशनल ट्रेड द्वारा किया जाता है । उसका गठन दोनों देशों के व्यापारियों की दोनों देशों के बीच व्यापार की सम्भावना का पता लगाने और उसका लाभ उठाने के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है । भारतीय पक्ष में छोटे, मध्यम तथा बड़ उद्योग, निर्यातक, परामर्शदाता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन शामिल हैं।

(ग) परिषद् के एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई, 1993 में चीन का दौरा किया।

(घ) दौरे का उद्देश्य, चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना तथा चीन और भारत दोनों देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना था।

ACTION PLAN BY DELHI EXPORTERS ASSOCIATION TO BOOST EXPORTS

2378. SHRI SURESH KALMADI :
SHRI GOVINDRAO ADIK :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Exporters Association has recently presented its action plan for boosting exports, to Government ;

(b) if so, what are the details of the action plan ;

(c) what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) Yes, Sir.

(b) The action plan submitted by the Delhi Exporters Association consists of suggestions for boosting exports to reach a level of Rs. 100,000 crores by the end of 1995. Suggestions include policy and procedural simplifications such as operating all export-related offices round the clock, locating all such offices under one roof, making delays punishable, permitting duty free import accessories required for expert production, as also institutional changes such as review of working of Commercial Representatives and EPCs and development of industrial estates for exporters.

(c) Issues cited in the action plan have been considered by the Government and decisions on many issues have already been taken which include rendering unjustified delays actionable under the conduct rules, reviewing laws, rules and procedures with a view to simplifying them, time-bound clearance of export cargo on priority basis and assistance to State Governments to strengthen infrastructural facilities.